

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी




बनाम

अप्रार्थीगण

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड (MHFL), शाखा कार्यालय-दीपक प्लाजा फ्लोर 7ए/2, संजय नगर-ए, मैक्स हॉस्पिटल के सामने, मेन कालवाड रोड, जोशी मार्ग के पास, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री हर्ष कुमार।

1. ओमाराम पुत्र श्री सुण्डाराम जाट, निवासी-165, कुडियो का बास, माण्डल जोधा, डेगाना जिला नागौर राजस्थान-341503
2. श्रीमती मन्जू देवी निवासी-165, कुडियो का बास, माण्डल जोधा, डेगाना जिला नागौर राजस्थान-341503

किस्म मुकदमा -सिक्वोरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या- 22 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/2/21	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी ने पत्रावली बहस हेतु आयन्दा नियत करने का निवेदन किया। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 08.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर </p>	
8/3/21	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी हस्तगत प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र Not Press किया है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र Not Press करने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसलशुमार हो एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  (डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला मजिस्ट्रेट नागौर </p>	<p>Not Press</p> <p style="text-align: right;">  पत्रावली 16/3/21 एडवोकेट R1496/2001 </p>

